

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ****दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1976/2026**

ननबाबू और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री सचिन श्रीवास्तवविपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, श्री शशांक श्रीवास्तव
-----**न्यायालय संख्या 16****माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

श्री शशांक श्रीवास्तव, अधिवक्ता, ने विपक्षी संख्या-2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके उपस्थिति दर्ज की है और इसे अभिलेख पर लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 27.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

- "1. आवेदकों के अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. पक्षकारों के अधिवक्ताओं का कथन है कि पक्षकारों के बीच वाद में समझौता हो गया है और समझौता विलेख अनुलग्नक संख्य-7 के रूप में अभिलेख पर है।
3. उक्त कथन के दृष्टिगत, पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 17.3.2026 को इसके सत्यापन हेतु समझौता विलेख के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अगली तिथि तक इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
4. विचारण न्यायालय की रिपोर्ट के साथ दिनांक 30.3.2026 को सूचीबद्ध करें।
5. मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, तो विचारण न्यायालय के समक्ष इसके सत्यापन हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने पर, उसकी एक प्रतिलिपि अभिलेख पर रखकर आवेदकों के अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।
6. सूचीबद्ध होने की आगामी तिथि तक, पुलिस थाना-गिलौला, जिला-श्रावस्ती में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 180/2022 के अनुसरण में आवेदकगण के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। "

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2026 की सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 17.02.2026 का समझौता विलेख विधिवत रूप से सत्यापित कर दिया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और प्रस्तुत की गई सामग्री का अभिलेख पर अवलोकन किया गया।

इस प्रार्थनापत्र द्वारा आवेदकगण ने पुलिस थाना-गिलौला, जिला-श्रावस्ती में दर्ज वाद अपराध संख्या 180/2022, अंतर्गत धारा 498-ए, 306 भारतीय दंड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा से उत्पन्न आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 07.07.2023 के अनुसरण में प्रार्थीगण के विरुद्ध आरंभ, तथा विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती के न्यायालय में लंबित सत्र परीक्षण संख्या 328/2023 (राज्य बनाम राम धीरज उर्फ राम तीरथ एवं अन्य) की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को, इस याचिका के अनुलग्नक संख्या-1 में यथाविष्ट तथा दिनांक 21.02.2026 के समझौता विलेख के निबंधनों के अनुसार, न्याय के हित में पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कुछ भ्रान्ति के कारण आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में, पक्षकारों ने एक साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों का निपटारा कर लिया है, जिसे दिनांक 17.02.2026 को लेखबद्ध किया गया है। तत्पश्चात्, आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1976/2026 दाखिल किया जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 27.02.2026 के आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा विचारण न्यायालय को उक्त समझौता विलेख को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और इसके अनुपालन में, दिनांक 26.03.2026 को समझौता विलेख को सत्यापित किया गया। उन्होंने निवेदन किया कि अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और उन्होंने अपने विवाद का समाधान कर लिया है। उन्होंने निवेदन किया कि वर्तमान वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और, इस प्रकार, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या-2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता को पूर्वोक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के पूर्वोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि दिनांक 17.02.2026 को पक्षकारों के बीच समझौता हुआ है और उक्त समझौते को दिनांक 26.03.2026 को सत्यापित किया गया है और, अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे आवेदकों के विरुद्ध पूर्वोक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि आवेदकों और विपक्षियों ने दिनांक 17.02.2026 को समझौता कर लिया है और कोई शिकायत शेष नहीं रह गई है जिसे उठाया जाए और, इस प्रकार, पूर्वोक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में निरस्त किए जाने योग्य है जो बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य, (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 के वादों में दिए गए हैं।

तदनुसार, पुलिस थाना-गिलौला, जिला-श्रावस्ती में दर्ज वाद अपराध संख्या 180/2022, अंतर्गत धारा 498-ए, 306 भारतीय दंड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा से उत्पन्न आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 07.07.2023 के अनुसरण में आरंभ, तथा विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती के न्यायालय में लंबित सत्र परीक्षण संख्या 328/2023 (राज्य बनाम राम धीरज उर्फ राम तीरथ एवं अन्य) में आवेदकगण के विरुद्ध संस्थित सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

समझौता इस आदेश का भाग होगा।

आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

दाखिल दफ्तर किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30 मार्च, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।